

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)


16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - उत्तर प्रदेश गढ़वाल में विकास वृक्षों के चपलेड़ी से
 (i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र - उत्तराखण्ड
 (ii) जिला - दोड़ी गढ़वाल
 (iii) जिला वन प्रभाग - गढ़वाल वन प्रभाग दोड़ी
 (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 2.920 हे.
 17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: 2.920 हे. सिविल सोम भूमि, राजसवन भूमि
 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 (i) वन का प्रकार सिविल वन (राजसवन)
 (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.4
 (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के राज्य-19 के अनुसार कोयल, चीड़, दुयेस, कापल, खैर, शरद, के विभिन्न जास की कुल 178
 लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना उपलब्ध वनस्पति
 (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम निर्धारित है।
 कार्यकरण योजना का नुस्खा
 19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार -
 की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी समस्त उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार
 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : लगभग 1/2 Km.
 प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 (i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के वृक्ष वन्यजीव विद्यालय है
 लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
 (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं
 (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं
 (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं
 (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं
 22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
 23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हाँ
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) नहीं
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही —
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति प्राप्त-फलवादी
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें की स्थिति ले मग्न भूमि
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल पुस्त भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। कुल रकम रु. 45 हेक्टेयर 2582 रु. 7.034 रु. 5.8408
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं) हाँ
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु 8,35,120.00
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। हाँ
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)। हाँ
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

जटिल में संशुद्धि की जाती है

स्थान:
तारीख:
मुद्रा

स्थान: Kaun
तारीख: 10-02-2016


 प्रभागीय वनाधिकारी
 गढ़वाल वन प्रभाग
 हस्ताक्षर सौड़ीनाम शासकीय